

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु  
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 09 / 2024

दिनांक:- 15-02-24

अनुवानी

राजस्थान सरकार


बनाम

महावीर सिंह आदि

-: आदेश :-

तहसीलदार, चूरु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट-‘ए’ एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरु का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम दान्दू तहसील चूरु के खसरा नम्बर 71, 527/320, 416/302, 520/79, 521/79, 81, 461/86, 459/86, 460/86, 87, 476/57, 477/57, 529/53, 528/53, 51, 572/54 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरु ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो रोही ग्राम दान्दू तहसील चूरु के खसरा नम्बर 71, 527/320, 416/302, 520/79, 521/79, 81, 461/86, 459/86, 460/86, 87, 476/57, 477/57, 529/53, 528/53, 51, 572/54 में से मौके पर चालू रास्ते का संलग्न राजस्व नक्शे एवं परिशिष्ट-‘ए’ में वर्णितानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

  
15/02/2024  
(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, चूरु

